सं0 27/10/2013-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

18 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

विषयः-दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी का अनुसूचित जाति के आधार पर उ0प्र0 आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुसूचित जाति के आधार पर उ0प्र0 राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त आवेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति की संज्ञान में लाया गया कि श्री सिंह अनुसूचित जाति के कार्मिक हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूलनिवासी हैं । अनुसूचित जाति आवंटन नीति से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा कार्मिक के आवेदन स्वीकृत किये जाने कि संस्तुति की गई तथा यह भी निर्देश दिया गया कि दण्ड स्वरूप उत्तराखंड द्वारा उनसे वसुल की जा रही राशी पूर्ण रूप से उनसे वसुल न होने की स्थिति में बकाया रकम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वसुल की जायेगी ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी का राज्य पुनरावंटन उत्तर प्रदेश राज्य के लिये किया जाता है ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।

कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
18 DEC 2013
जारी किया/ISSUED